

Form No. III
फर्द—अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

मुकाम चित्तौड़गढ़

कैलाशचन्द्र डांगी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सामरी जिला चित्तौड़गढ़

कार्यवाही अन्तर्गत :-

धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

किस्म मुकदमा

अपील (सूचना का अधिकार)

नं०

062

सन्

2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10.09.2024	<p>सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्राप्त हुई जो पेश हुई। अपीलार्थी कैलाशचन्द्र पिता चैनराम डांगी निवासी मेडी का अमराना तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सामरी, पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 06.08.2024 के संबंध में प्रथम अपील प्रेषित की गई है। उक्त आवेदन के संबंध में अपीलार्थी को संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत हस्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उक्त आवेदन के संबंध में अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सामरी, पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से व्यथित होकर अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत अपीलार्थी द्वारा हस्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। यहाँ उल्लेखनीय है कि यह प्रथम अपीलीय न्यायालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही प्रथम अपील ग्रहण करता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सामरी, पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है एवं लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सामरी, पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ लोक सूचना अधिकारी(राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सामरी, पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत अपील की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः हस्तगत प्रथम अपील क्षेत्राधिकारिता को बिन्दु पर इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होना पाया जाता है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के यहाँ अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन के रूप में भारतीय डाक आदेश संख्या 63F832400 तादादी रूपये 10/- अक्षरे दस रूपये का प्रस्तुत किया गया है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध है। अधिनियम 2005 के तहत अपील प्रस्तुत किये जाने बाबत कोई भी आवेदन शुल्क प्रावधान नहीं है, अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत भारतीय डाक आदेश अपीलार्थी को पुनः लौटाया जावे। प्रति पत्रावली पर रखी जावे।</p> <p>उपर्युक्त विश्लेषण के साथ के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से खारीज की जाती है, अपीलार्थी को सक्षम संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के यहाँ अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर अभिलेख में अंकन किया जावे। अहकाम की प्रतिलिपि अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक के निःशुल्क प्रेषित की जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावे।</p>	



-S/D-

(आलोक रंजन)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़
10.09.2024